लोक अदालत खण्डपीठ क. 19
सदस्य प्रथम जिला न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भोपाल, जिला भोपाल म.प्र.
नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.2023

एम.सी.सी. क.–2895 / 2022

1. श्रीमती शशि बाई पत्नी श्री राम सिंह,
   आयु लगभग 44 वर्ष, (मृतिक की माता)
2. राम सिंह राजपूत, पुत्र श्री कमल सिंह राजपूत,
   आयु लगभग 50 वर्ष, (मृतिक का पिता)
3. कु. लीला राजपूत पुत्री राम सिंह राजपूत,
   आयु लगभग 13 वर्ष, (मृतिका की बहन)
4. कु. सुरक्षा राजपूत पुत्री राम सिंह राजपूत,
   आयु लगभग 12 वर्ष, (मृतिका की बहन)
5. कु. ममता बाई पुत्री राम सिंह राजपूत,
   आयु लगभग 10 वर्ष, (मृतिका की बहन)
6. मा.तीरथ प्रताप सिंह राजपूत पुत्र राम सिंह राजपूत,
   आयु लगभग 5 वर्ष, (मृतिका का भाई)
   आवेदकगण कं. 3 लगायत 6 नाबालिग द्वारा संरक्षिका माता,
   श्रीमती शशि बाई पत्नी श्री राम सिंह,
   हाल निवासी–ग्राम मुगालिया कोट, पो. इस्लाम नगर,
   जिला भोपाल मप्र पिन–462038
   स्थायी निवासीः– ग्राम रतवा, पो डंगरवाडा,
   जिला विदिशा मप्र पिन–464111

.....................आवेदक

विरूद्ध

1. शाहिद पुत्र अली उद्दीन, आयु वयस्क,
   निवासी–ग्राम मलसीपुर, तह. सिरोंज,
   जिला विदिशा मप्र पिन– 464228
   (ट्रक कमांक एमपी40–एचए–0215 का चालक)
2. जाहिद अली पुत्र अहमद अली खान,
   निवासी– म.नं. 6, गोपाल गली, वार्ड नं. 12,
   सिरोंज, जिला विदिशा मप्र पिन–464228
   जिला भोपाल (मप्र) पिन नं. 462010
   (ट्रक कमांक एमपी40–एचए–0215 का स्वामी)
3. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
   द्वारा–शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, भगवान कॉम्पलेक्स,
   प्रथम तल, प्लाट नं. 214, जोन–1, एमपी नगर, भोपाल मप्र
   पिन–462011

बीमा पालिसी क्र.–1–26डीएएक्ससीक्यूके
बीमा वैधता अवधिः– 24.01.22 से 23.01.23 तक
(ट्रक कमांक एमपी40–एचए–0215 का बीमा कंपनी)

.................अनावेदकगण।

//अवार्ड//
(दिनांक 09.12.2023)

1. आवेदकगण ने मोटर दुर्घटना से हुई उपहति/क्षति के फलस्वरूप धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति 49,25000 /– रूपये हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

2. आवेदकगण एवं अनावेदक बीमाकंपनी के मध्य स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत में आपसी समझौता हुआ है। लिखित समझौता एवं समझौता की अनुमति हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है।

3. समझौते के अनुसार अनावेदक बीमाकंपनी आवेदक को कुल **रूपये 5,25,000/– (पाच लाख पच्चीस हजार रूपये)** अदा करेगी।

4. उभयपक्ष ने समझौता स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाब के किया है। अभिलेख से प्रकट तथ्यों के प्रकाश में उक्त समझौता मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावाकर्ता के हितों के अनुरूप है। प्रस्तुत समझौता लिखित एवं उभयपक्ष की ओर से हस्ताक्षरित है, जो एक विधिपूर्ण करार है। अतएव प्रस्तुत समझौता स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. परिणामतः प्रस्तुत समझौता स्वीकार किया जाता है और निम्न बिंदुओं पर अवार्ड पारित किया जाता हैः

(1) अनावेदक बीमा कंपनी आवेदकगण को आपसी समझौते के फलस्वरूप कुल **रूपये 5,25,000/– (पाच लाख पच्चीस हजार रूपये)** अदा करेगी जो इस अवार्ड दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर अदा कर दी जाएगी।

(2) अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा एक माह की अवधि के भीतर उक्त अवार्ड राशि अदा नहीं किए जाने पर अवार्ड दिनांक से राशि अदायगी दिनांक की अवधि के लिए 08 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज आवेदक को अदा किया जाएगा।

(3) अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि यदि कोई भुगतान की गयी हो तो उसका समायोजन इस अवार्ड राशि में किया जाएगा। उक्त अवार्ड राशि अनावेदक बीमा कंपनी निर्दिष्ट अवधि एक माह के भीतर इस अधिकरण में जमा करावे। **उक्त राशि रूपये 5,25,000/– (पांच लाख पच्चीस हजार रूपये) का भुगतान आवेदकगण को निम्नानुसार करें–**

क.	आवेदकगण के नाम	नगद बचत खाते के माध्यम से भुगतान	सावधि खाते में जमा
1	श्रीमती शशि बाई पत्नी श्री राम सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, (मृतिक की माता)	3,25,000/– (तीन लाख पच्चीस हजार रूपये)	
2	राम सिंह राजपूत, पुत्र श्री कमल सिंह राजपूत, आयु लगभग 50 वर्ष, (मृतिक का पिता)	2,00,000/– (दो लाख रूपये)	

(4) इस प्रकरण का व्यय उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(5) यह अवार्ड धारा 21 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार डिकी का प्रभाव रखेगा और डिकी की तरह निष्पादन योग्य होगा।

09/12/23

(श्री प्रमोद सिंह तोमर)
अधिवक्ता
सदस्य

(स्वयं प्रकाश दुबे)
सदस्य
प्रथम जिला न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
भोपाल, जिला भोपाल म.प्र.